आवश्यक/महत्वपूर्ण
संख्या-217 /23-7-17

प्रेषक,

सरोज कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष, 1
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक- 07 मार्च, 2017

**विषयः**-रिट याचिकाओं की प्रस्तरवार आख्याओं के परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यह अवगत कराना है कि शासन स्तर पर प्राप्त रिट याचिकाओं की प्रस्तरवार आख्याओं के परीक्षण हेतु शासनादेश सं0-173/23-7-14, दिनांक 04.02.14 एवं शासनादेश सं0- 2647/23-7-14, दिनांक 12.08.14 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है । उक्त के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त कृपया प्रस्तरवार आख्या के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों आलोक में कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें:-

क- भविष्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तरवार आख्या के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर, नाम व पदनाम अंकित करते हुए मुहर लगायी जायेगी । यदि मुहर के लिए अधिकृत नहीं है तो हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से नाम व पदनाम लिखा जायेगा ।

ख- प्रस्तरवार आख्या में वर्णित कथनों को संबंधित शासनादेश/नियम, अधिनियम आदि से की प्रति लगाते हुए समर्थित अवश्य किया जाय, ताकि संबंधित न्यायालय में सुनवाई की प्रथम तिथि पर ही प्रकरणों में गुणावगुण के आधार में त्वरितता के साथ निर्णय हो जाय ।

कृपया भविष्य में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तरवार आख्याओं का परीक्षण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सरोज कुमार यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या-217(1)/23-7-2017-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया रिट याचिकाओं के संबंध में प्रस्तरवार आख्या को उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार कराकर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव ।